न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 09 / 2022

दायर दिनांक: 22.04.2022

निर्णय दिनांक 20.02.2026

—: अनवान :—

1. लेहरी पुत्री स्वर्गीय हीरा जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी नान्दौडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. दाखु पुत्री स्वर्गीय हीरा जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी नान्दौडा तहसील व जिला राजसमन्द

— **अपीलार्थीगण**

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, राजसमन्द तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
2. रामलाल पुत्र स्वर्गीय हिरालाल जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी नान्दौडा तहसील व जिला राजसमन्द
3. किशन पुत्र स्वर्गीय हिरालाल जी जाति कालबेलिया आयु वयस्क निवासी नान्दौडा तहसील व जिला राजसमन्द
4. कैलाशीदेवी पत्नि मुकेश कुमार जटिया आयु वयस्क निवासी मोलेला, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
5. मुकेश कुमार पुत्र ताराचन्द जी जटिया आयु वयस्क निवासी मोलेला, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

— **रेस्पोडेण्टगण**

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 471 स्वीकृत दिनांक 06.05.2000 पारित द्वारा तहसीलदार राजसमन्द

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 471 दिनांक 06.05.2000 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नान्दौडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद में आराजी संख्या 1188/941 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 1126/941/1, रकबा 2.00 दो बीघा, आराजी संख्या 1176/1126/941 रकबा 02.00 दो बीघा है। उक्त भुमि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के पिता हिरा पिता जालम जी कालबेलिया निवासी नान्दौडा के नाम पर खातेदारी में दर्ज रही थी। हिरा जी की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज न कर केवल रेस्पोण्डेंट सख्या दो, तीन के नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलार्थीगण भी स्वर्गीय हिरा जी की पुत्रीयों होने से हिन्दू विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उनका भी रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन के समान ही हक अधिकार है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने रेस्पोण्डेंट्स संख्या दो व तीन से मिलीभगत कर वारीसानो की सही जॉच किये बगेर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया है जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् रेस्पोण्डेंट संख्या तीन ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से अपने नाम गलत रूपेण दर्ज 1/2 हिस्सा भुमि को रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच के नाम अन्तरित कर दिया। रेस्पोण्डेंट संख्या तीन द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पॉच के पक्ष में किया गया अन्तरण प्रारम्भ से ही शुन्य व विधि विरूद्ध होकर बेअसर है। ऐसे विधि विरूद्ध अन्तरण विलेख से रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रेस्पोण्डेंट संख्या एक द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य व बेअसर है अपीलार्थीगण स्वर्गीय हीरा जी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम अनुसूची की वारीसान उत्तराधिकारी है। हिन्दू विधि की धारा 6 व 8 के प्रावधानो के तहत विरासत के नामान्तरकरण खोलने में त्रुटि कारित की हे। अपीलार्थीगण जब वारीस उत्तराधिकारी है तो उसका नाम नामान्तरकरण में दर्ज होना था लेकिन पटवारी हल्का से मिलीभगत कर उक्त नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। वास्तविकता में तो विरासत से नामान्तरकरण की पटवारी हल्का द्वारा जाँच ही नहीं की गई। यदि वास्तव में जॉच की जाती तो अपीलार्थीगण का नाम दर्ज करना पडता इसलिए उक्त नामान्तरकरण बिना जाँच के स्वीकृत कर दिया गया। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। उक्त भुमि ग्राम पंचायत बडारडा में स्थित है लेकिन राजस्व अधिकारियो ने जानबुझ कर उक्त नामान्तरकरण को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया। क्योंकि पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने पर वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती। हजारी की अपीलार्थीगण पुत्रीयॉ है इसकी जानकारी सम्पूर्ण गॉव व पंचायत को थी इसलिए ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण को स्वीकृत हेतु पेश ही नहीं किया गया। जबकि उक्त नामान्तरकरण जो विरासत का

खोला गया है स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत में पेश करने के प्रावधान है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को प्राप्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो अपास्त होने योग्य है। न्यायहित में उक्त नामान्तरकरण को निरस्त/अपास्त फरमाया जाकर भुमियो के राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण का नाम रेस्पोण्डेंट संख्या एक दो के साथ समान समान हक अधिकार से दर्ज फरमाया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने हजारी के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खोला गया है जबकि विरासत की जॉच किया जाना आवश्यक और विरासत की जाँच कर नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक है जबकि इस मामले में विरासत की कोई जाँच नहीं की गई हैं। इस नामान्तकरण में सजरा भी नहीं बनाया गया है। नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया वह विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे है। रेस्पोण्डेंट संख्या तीन ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से अपने नाम गलत रूपेण दर्ज 1/2 हिस्सा भुमि को रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच को विक्रय कर दिया एवं राजस्व रेकार्ड में भुमियाँ रेस्पोण्डेंट संख्या तीन के बजाय रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच के नाम कमशः 1/4, 1/4 हिस्से से दर्ज है जबकि रेस्पोण्डेंट संख्या तीन का उक्त भुमियो में अपीलार्थीगण के समान 1/4 हिस्सा है। उक्त विकय पत्र अपीलार्थीगण के मुकाबले अवैद्य शुन्य व विधि विरूद्ध है तथा ऐसे विक्रय पत्र से रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है फिर भी कानूनन आवश्यक पक्षकार होने से रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच को भी रेस्पोण्डेंट बनाया है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता भी अधिनस्थ न्यायालय को नहीं थी ऐसी स्थिति में उक्त पारित आदेश प्रारम्भ से ही अवैध शुन्य होकर क्षेत्राधिकार से परे है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 06.05.2000 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में हजारी की विधिक वारीसान के रूप में रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन के साथ समान समान हक अधिकार से अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर

अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नान्दौडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद में आराजी संख्या 1188/941 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 1126/941/1, रकबा 2.00 दो बीघा, आराजी संख्या 1176/1126/941 रकबा 02.00 दो बीघा है। उक्त भुमि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के पिता हिरा पिता जालम जी कालबेलिया निवासी नान्दौडा के नाम पर खातेदारी में दर्ज रही थी। हिरा जी की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज न कर केवल रेस्पोण्डेंट सख्या दो, तीन के नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलार्थीगण भी स्वर्गीय हिरा जी की पुत्रीयों होने से हिन्दू विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उनका भी रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन के समान ही हक अधिकार है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने रेस्पोण्डेंट्स संख्या दो व तीन से मिलीभगत कर वारीसानो की सही जॉच किये बगेर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया है जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् रेस्पोण्डेंट संख्या तीन ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से अपने नाम गलत रूपेण दर्ज 1/2 हिस्सा भुमि को रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच के नाम अन्तरित कर दिया। रेस्पोण्डेंट संख्या तीन द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पॉच के पक्ष में किया गया अन्तरण प्रारम्भ से ही शुन्य व विधि विरूद्ध होकर बेअसर है। ऐसे विधि विरूद्ध अन्तरण विलेख से रेस्पोण्डेंट संख्या चार व पाँच को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रेस्पोण्डेंट संख्या एक द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य व बेअसर है अपीलार्थीगण स्वर्गीय हीरा जी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम अनुसूची की वारीसान उत्तराधिकारी है। हिन्दू विधि की धारा 6 व 8 के प्रावधानो के तहत विरासत के नामान्तरकरण खोलने में त्रुटि कारित की हे। अपीलार्थीगण जब वारीस उत्तराधिकारी है तो उसका नाम नामान्तरकरण में दर्ज होना था लेकिन पटवारी हल्का से मिलीभगत कर उक्त नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। वास्तविकता में तो विरासत से नामान्तरकरण की पटवारी हल्का द्वारा जाँच ही नहीं की गई। यदि वास्तव में जॉच की जाती तो अपीलार्थीगण का नाम दर्ज करना पडता इसलिए उक्त नामान्तरकरण बिना जाँच के स्वीकृत कर दिया गया। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। उक्त भुमि ग्राम पंचायत बडारडा में स्थित है लेकिन राजस्व अधिकारियो ने जानबुझ कर उक्त नामान्तरकरण को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया। क्योंकि पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने पर वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती। हजारी की अपीलार्थीगण पुत्रीयॉ है इसकी जानकारी सम्पूर्ण गॉव व पंचायत को थी इसलिए ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण को स्वीकृत हेतु पेश ही नहीं किया

गया। जबकि उक्त नामान्तरकरण जो विरासत का खोला गया है स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत में पेश करने के प्रावधान है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को प्राप्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो अपास्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 06.05.2000 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में हजारी की विधिक वारीसान के रूप में रेस्पोण्डेंट संख्या दो व तीन के साथ समान समान हक अधिकार से अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 06.05.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकरण में विवादित नामान्तरण संख्या 471 जो कि दिनांक 06.05.2000 को तहसीलदार राजसमंद द्वारा खोला गया है, का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि विवादित भूमि के खातेदार श्री हीरालाल जी की मृत्यु होने पर यह भूमि अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम पर दर्ज कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 मृतक श्री हीरालाल जी के पुत्र हैं, तथा अपीलार्थीगण संख्या 1 और 2 मृतक श्री हीरालाल जी की पुत्रियां हैं। अपीलार्थीगण का नाम इस नामांतरण में सम्मिलित नहीं किया गया था। उन्हें भूमि के हिस्से से वंचित रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का अंकन नहीं किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में प्रत्यर्थी का कहना है कि नामांतरण वर्ष 2000 में हुआ था, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन वर्ष 2005 में हुआ। अतः पुत्री को सह–दायिक (Coparcener) नहीं माना जा सकता। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी हिन्दु पुरुष की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियमों में यह उल्लेखित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्री भी पुत्र के समान ही प्रथम श्रेणी (Class-I) की उत्तराधिकारी हैं, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज न करना कानूनन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को संशोधित कर पुत्रीयों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ा जाना न्यायोचित होगा।

विवादित नामान्तरण खोले जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने भूमि में अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार हमने यह देखा कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 इस जमीन में आधा हिस्सा रखती हैं, परन्तु उनके भाइयों (अप्रार्थी 2 व 3) द्वारा विवादित नामान्तरण के माध्यम से पूरी भूमि अपने नाम पर दर्ज करा ली गई तथा उसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान कर दिया है। अतः आज की तारीख में इस विवादित जमीन में मात्र अप्रार्थी संख्या 2 का आधा हिस्सा दर्ज है तथा अप्रार्थी 4 व 5 का आधा हिस्सा दर्ज है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के साथ–साथ अपीलार्थीगण संख्या 1 और 2 का नाम भी जरिये नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। जहाँ तक उस हिस्से का प्रश्न है जो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को बेचा जा चुका है, जबकि उसमें अपीलार्थीगण 1 और 2 का भी हिस्सा था, उस पंजीकृत विक्रय पत्र (Registered Sale Deed) को निरस्त कराए जाने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय (Civil Court) को है। अपीलार्थीगण 1 व 2, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायालय से राहत पाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 06.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक काश्तकार के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारीयों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)